

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 08/2024

दायर दिनांक: 14.02.2024

उनवान

1. बसन्तीलाल उम्र 42 वर्ष पुत्र राधेलाल उर्फ ग्यारसीराम जाति कुम्हार निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट

उपस्थित :-

प्रार्थिया :-विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

अप्रार्थी :- पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 20.01.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल मेरमाचाह पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी नया खाता संख्या 169 पुराना खाता संख्या 155 का ख.नं. 930 का रकबा 0.63 हे० आराजी प्रार्थी के दर्ज खाता स्थित है। जिस पर सदैव से प्रार्थी काशत करता चला आ रहा है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थी के पिता का नाम राधेलाल गलत नाम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम ग्यारसीराम है। प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड आदि में प्रार्थी के पिता का सही नाम ग्यारसीराम दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम मेरमाचाह की आराजी खाता संख्या 169 का ख.नं. 930 का रकबा 0.63 हे० में प्रार्थी के पिता का नाम राधेलाल के स्थान पर ग्यारसीराम दर्ज करवाया जाना सम्भव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन

करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम राधेलाल के स्थान पर सही नाम ग्यारसीराम दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 169 का ख.नं. 930 का रकबा 0.63 हे० में प्रार्थी के पिता का नाम राधेलाल के स्थान पर सही नाम ग्यारसीराम दर्ज करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3524 दिनांक 20.11.2024 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों— नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मेरमाचाह सम्वत 2071—74 खाता संख्या 169, आधार कार्ड ग्यारसीराम, आधार कार्ड बसन्तीलाल, पेन कार्ड बसन्तीलाल, नकल जमाबन्दी ग्राम मेरमाचाह सम्वत 2055—58 , शपथ पत्र तोलाराम का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 169 का ख.नं. 930 का रकबा 0.63 हे० में खातेदार बसन्तीलाल पुत्र राधेलाल के स्थान पर बसन्तीलाल पुत्र ग्यारसीराम उर्फ राधेलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—ःक्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 169 का ख.नं. 930 का रकबा 0.63 हे० में खातेदार बसन्तीलाल पुत्र राधेलाल के स्थान पर बसन्तीलाल पुत्र ग्यारसीराम उर्फ राधेलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां